FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.... मुकाम ....

.... बनाम ....

दफा .... नं .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/12/2	**आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत......रामपुरा....... में दिनांक..02/12/21..... को पेश होने बाबत तलब होकर पेश हुई। पक्षकारान् को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत...रामपुरा... में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक....09/12/21.. को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत रामपुरा.... पेश हों।** (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर**	
09/12/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रामपुरा में पेश हुई। मुताबिक तहसीलदार रैणी के प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद मेरे दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...रामपुरा उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)**	

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 03/21/2020

तारीख दायरा : 18.12.2020

उनवान

1.टीकाराम बैरवा पुत्र श्री गोविन्दराम बैरवा निवासी ग्राम आकोदा तहसील रैणी (अलवर)
..............प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर।
2.तहसीलदार तहसील रैणी जिला अलवर।
..............अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)

न्यायालय द्वारा :—

दिनांक : 09.12.2021

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 0.16, 278 रकबा 0.16, 280 रकबा 0.09, 283 रकबा 0.09, 290 रकबा 0.01, 292 रकबा 0.12, 293 रकबा 0.14, 436 रकबा 0.17, 437 रकबा 0.22, 438 रकबा 0.22, 439 रकबा 0.04, 440 रकबा 0.04, 441 रकबा 0.08, 442 रकबा 0.20, 443 रकबा 0.24, 444 रकबा 0.10, 445 रकबा 0.11, 446 रकबा 0.20, 447 रकबा 0.12, 448 रकबा 0.25, 449 रकबा 0.25, 450 रकबा 0.40, 451 रकबा 0.24, 452 रकबा 0.23, 453 रकबा 0.16, 454 रकबा 0.17, 456 रकबा 0.11, 457 रकबा 0.10, 458 रकबा 0.10, 459 रकबा 0.19, 460 रकबा 0.10, 463 रकबा 0.30, 464 रकबा 0.19 कुल किता 34 रकबा 5.47 हैक्टेयर ग्राम आकोदा तहसील रैणी में स्थित है। जिसके सम्वत् 2046 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 174, 175, 250 थे। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020, 2023 व 2026 खाता सख्या 45 आराजी खसरा नम्बर 174, 175, 250 के प्रार्थी के पिता गोविन्दराम तथा नत्थूराम, ग्यारसा, चिम्मनलाल, सुकला पुत्रान दौलाराम 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार थे। किन्तु अप्रार्थीगण के कार्यालय द्वारा सम्वत् 2030 में तैयार की गई जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम उक्त आराजी की खातेदारी से बिना किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना हजफ कर दिया गया जो बदस्तूर चला आ रहा है।

प्रार्थी के पिता गोविन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके हिस्से की आराजी पर प्रार्थी बतौर वारिस काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। चूंकि प्रार्थी के पिता का नाम उक्त आराजी की खातेदारी से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के हजफ कर दिया जो त्रुटि दुरूष्ती योग्य है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता गोविन्दराम के बतौर खातेदार दर्ज नहीं होने के कारण गोविन्दराम की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान उनकी विरासत का इतंकाल स्वंय के नाम दर्ज नहीं करा पा रहे है। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता गोविन्दराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया अप्रार्थीगण तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तत्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई है। तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ''जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 के खाता सख्या 45 में आराजी खसरा नम्बरा 174,175, 250 में प्रार्थी के पिता गौविन्दराम पि0 दौलाराम दर्ज रिकार्ड था। जमाबन्दी स. 2030 में सहंवन से प्रार्थी के पिता गौविन्दराम पुत्र दौलाराम का अकंन लिखने से रह गया है। जो अंकन हाल रिकार्ड में नहीं हुआ है। जबकि मौके पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जमाबन्दी स. 2023–26 के अनुसार हाल जमाबन्दी स. 2074–75 के खाता सख्या 20 में एलआरएक्ट की धारा 136 के अर्न्तगत शुद्दि करते हुये गौविन्दराम पुत्र दौलाराम का नाम मुताबिक साबिक रिकार्ड के अनुसार शुद्दि किया जाना उचित होगा।''

वकील प्रार्थीगण को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का कथन है कि रिकार्ड संधारण के दौरान् जमाबन्दी सं0 2030 में प्रार्थी के पिता का नाम अंकित नहीं कर त्रुटि कारित की गई। जबकि पूर्व कीं जमाबन्दी सं0 2020, 2023 एवं जमाबन्दी सं0 2026 में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज है। एलआरएक्ट की धारा 136 में भू0 अभिलेख अधिकारी को ऐसी त्रुटियों को सुधारने की शक्तियॉ है। प्रार्थी के इस कथन के सन्दर्भ में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि आया राजस्व रिकार्ड के संधारण/बन्दोबस्त के समय उक्त त्रटि कारित हुई है ? यदि त्रुटि हुई है तो आया 136 एलआरएक्ट के तहत दुरूस्ती की जा सकती है ? इस तथ्य के विवेचन के लिए धारा 136 को यहां उद्वरत किया जाना समीचीन होगा।

<u>136 Correction of errors :-</u> the land Records officer may at any time, correct of cause to be corrected in the presctibed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been mad in the record to rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any Registar.

Provided that any error is noticed by a Revenue officer in any record of tights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

इस सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं0 2020 में खसरा नम्बर 174, 175 एंव 250 पर नत्थूराम,ग्यारसा, चिम्मनलाल, शुकला व गौविन्दराम पि. दौलाराम हि. 1/4 दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2023 एवं 2026 में हो रहा है। नकल जमाबन्दी स.2030 में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज नहीं है जबकि अन्य सभी सह काश्तकारों के नाम का अकंन दर्ज है। सम्वत् 2030 के पश्चात् की जमाबन्दीयों में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभॉति प्रमाणित होता है कि रिकार्ड संधारण के दौरान् संहवन से सम्वत् 2030 में यह त्रुटि कारित की हुई है।

न्यायिक विनिश्चय आर.आर.टी.(2) 783 बोगड सिंह बनाम स्टेट आफॅ राज0 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है।

अतः प्रार्थी का यह प्रकरण एलआरएक्ट की धारा 136 की भावना के अनुरूप होने एवं उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय एवं की रोशनी में इस प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में रिकार्ड संधारण के दौरान् संहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरूष्त किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम आकोदा की पूर्व जमाबन्दी स. 2026 में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी के पिता गौविन्दराम पि. दौलाराम के नाम का अकंन वर्तमान जमाबन्दी में अंकित आराजी ख.न. 277 रकबा 0.16, 278 रकबा 0.16, 280 रकबा 0.09, 283 रकबा 0.09, 290 रकबा 0.01, 292 रकबा 0.12, 293 रकबा 0.14, 436 रकबा 0.17, 437 रकबा 0.22, 438 रकबा 0.22, 439 रकबा 0.04, 440 रकबा 0.04, 441 रकबा 0.08, 442 रकबा 0.20, 443 रकबा 0.24, 444 रकबा 0.10, 445 रकबा 0.11, 446 रकबा 0.20, 447 रकबा 0.12, 448 रकबा 0.25, 449 रकबा 0.25, 450 रकबा 0.40, 451 रकबा 0.24, 452 रकबा 0.23, 453 रकबा 0.16, 454 रकबा 0.17, 456 रकबा 0.11, 457 रकबा 0.10, 458 रकबा 0.10, 459 रकबा 0.19, 460 रकबा 0.10, 463 रकबा 0.30, 464 रकबा 0.19 कुल किता 34 रकबा 5.47 हैक्टेयर ग्राम आकोदा तहसील रैणी में दर्ज किया जावे।

9.12.21

(अनिल कुमार सिघंल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.12.21

(अनिल कुमार सिघंल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

क्रमांक: राजस्व/2022/71 दिनांक 07/2/22

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रैणी को पास भेजकर लेख है कि मुताबिक निर्णय 09.12.2021 की पालना कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करे।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला- अलवर